

**शासकीय कार्यों के प्रयोगार्थ अनुबंध पर 01 वाहन (बोलेरो नियो, BS 6 माडल) लिए जाने
हेतु जारी अल्पकालिक निविदा हेतु नियम एवं शर्तें।**

- 1- आपूर्ति किया जाने वाला वाहन डीजल चलित बोलेरो नियो BS-6 माडल (वाहन चालक सहित) होना आवश्यक है। उक्त अंकित वाहन का मेक माडल अप्रैल, 2021 के बाद का होना आवश्यक होगा। नवीन वाहन को प्राथमिकता प्रदान दी जाएगी।
- 2- उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन में वाहन चालक निविदादाता फर्म द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका विभाग द्वारा पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। वाहन चालक के पास वाहन संचालन का कार्मार्शियल लाईसेंस होना आवश्यक है तथा वाहन चालक को पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्र में वाहन संचालन हेतु सक्षम होना आवश्यक होगा।
- 3- निविदा प्रपत्रों में वाहन का मासिक किराया बिना ईंधन की स्थिति में उपलब्ध कराया जाएगा। ईंधन की आपूर्ति विभाग द्वारा की जाएगी।
- 4- आपूर्ति किया जाने वाला वाहन बोलेरो नियो BS-6 माडल उत्तम गुणवत्तायुक्त होना आवश्यक है तथा वाहन की आन्तरिक साज-सज्जा यथा-सीट कवर; तौलिया, प्रकाश की उचित व्यवस्था, फुटस्टैट, बैक कैमरा, साईड फुट स्टेप; रोलर कर्टन इत्यादि उत्तम कोटि का होगा। आपूर्ति के उपरान्त विभाग द्वारा यदि वाहन में अन्य कोई ऐसेसिरीज या उपकरण लगाए जाते हैं तो संबंधित फर्म द्वारा ही अपने स्तर से उक्त कार्य का सम्पादन कराया जाएगा।
- 5- वाहन के टायर; बैटरी; हैडलाईट, बैक लाईट; इन्डीकेटर; फन्ट तथा बैक वाईपर, समस्त ग्लास, दरवाजे तथा वाहन संबंधी अन्य समस्त उपकरण उचित तथा उत्कृष्ट गुणवत्तायुक्त होना आवश्यक है तथा वाहन में अग्नि सुरक्षा उपकरण मानकों के अनुसार होना आवश्यक है।
- 6- आपूर्तित वाहन नियमानुसार संभागीय/उप संभागीय परिवहन कार्यालय में पंजीकृत होना आवश्यक है तथा अनुबंध की अवधि में वाहन के समस्त प्रपत्र अर्थात् वाहन पंजीयन; व्यावसासिक परमिट शुल्क; वाहन फिटनेस; बीमा आदि वैध होना आवश्यक है। (संबंधित साक्ष्य की प्रति संलग्न करें।)
- 7- आपूर्तित वाहन, मोटरयान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत आल इण्डिया परमिट से आच्छादित होना आवश्यक है, किसी भी प्रकार के निजी वाहन की आपूर्ति नहीं की जाएगी।
- 8- यात्रा के दौरान वाहन में किसी भी प्रकार की तकनीकी खराबी होने पर आपूर्तिकर्ता फर्म को तत्काल दूसरे वाहन की व्यवस्था अपने व्यय पर करनी होगी। यदि किसी समय आपूर्तिकर्ता फर्म वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करने में असफल रहता है, उस परिस्थिति में विभाग द्वारा आपूर्तिकर्ता के व्यय पर वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करने के लिए अधिकृत माना जाएगा।
- 9- वाहन का प्रयोग आवश्यकता के अनुरूप राज्य में अथवा राज्य के बाहर कहीं भी किया जाएगा।
- 10- आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा आवित कार्य को पुनः किसी अन्य फर्म को हस्तगत नहीं किया जाएगा।
- 11- ईंधन की आपूर्ति दैनिक/मासिक (परिस्थिति के अनुरूप) लागबुक के आधार पर विभाग द्वारा होगी। ईंधन के व्यय को अपडेट/विवरण को संरक्षित रखने हेतु लागबुग आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा ही उपलब्ध कराई जाएगी। लागबुक में संबंधित विवरण को वाहन चालक द्वारा ही अंकित किया जाएगा तथा प्रतिमाह उसका विवरण कार्यालय में जमा कराया जाएगा।

**श्रम आयुक्त
उत्तराखण्ड**

- 12- आपूर्तित वाहन की नियमानुसार समय-समय पर सर्विसिंग आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा स्वयं कराई जाएगी।
- 13- सेवा प्रदान करने में विलम्ब होने पर दर अनुबंध का निरस्तीकरण निम्नांकित अवसरों पर कार्यप्रभारित प्रतिभूति धनराशि को जब्त करते हुए दर पंजीयन को समाप्त कर दिया जायेगा :-
 क-यदि आपूर्तिकर्ता फर्म समय पर वाहन उपलब्ध कराने में विफल रहता है।
 ख-यदि आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा प्रदान की जा रही सेवाएं संतोषप्रद न हों।
- 14- कर एवं अन्य देयकों का भुगतान :-
- क- सभी प्रकार के टोल टैक्स, प्रवेश कर; पार्किंग चार्ज आदि का भुगतान आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा वहन किया जायेगा।
 ख- अन्य राज्यों में वाहन के आवागमन की स्थिति नियमानुसार लागू करों आदि का भुगतान आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा किया जायेगा।
- 15- आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा कार्य के संबंध में विभिन्न अधिनियमों/नियमों यथा-श्रम अधिनियम; न्यूनतम पारिश्रमिक अधिनियम; पी०एफ०; ई०एस०आई०; मोटररायन अधिनियम आदि में विहित व्यवस्थाओं/नियमों/औपचारिकताओं का अनुपालन किया जाएगा।
- 16- उपरोक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त कोई बिन्दु जो वाहन किराए पर लिए जाने से संबंधित हो एवं जिसे उक्त इंगित शर्तों में सम्मिलित नहीं किया जा सका हो, तो संज्ञान होने पर संबंधित बिन्दु को पृथक से अवगत कराया जाएगा।
- 17- नियम तथा शर्तों को परिवर्तित करने तथा अनुबंध पर लिए जाने वाले वाहनों की संख्या को कम करने का पूर्ण अधिकार विभागाध्यक्ष का होगा।
- 18- निविदा प्रपत्रों के साथ निविदा शुल्क की धनराशि रूपया 500/- (रूपया पांच सौ मात्र) को कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी में नकद जमा करते हुए संबंधित रसीद मूल में तथा धरोहर धनराशि रूपया 5,000/- (रूपया पांच हजार मात्र) की F.D जो श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी के पक्ष में देय हो, संलग्न किया जाना आवश्यक है अन्यथा की स्थिति में निविदा प्रपत्र को रद्द कर दिया जाएगा।
- 19- निविदादाता द्वारा फर्म का GST में पंजीयन तथा पैन एकाउण्ट संबंधी प्रपत्र लगाया जाना आवश्यक होगा।
- 20- बीजकों का भुगतान नियमानुसार GST TDS तथा Income Tax TDS काटते हुए किया जाएगा।
- 21- निविदा प्रपत्रों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन तथा अन्य किसी भी प्रकार की कार्यवाही अर्थात् निविदा को खोले जाने की तिथि में परिवर्तन तथा रद्द किये जाने संबंधी किसी भी प्रकार की सूचना (संशोधन/शुल्क पत्र) पृथक से समाचार-पत्रों में प्रकाशित नहीं करायी जाएगी। किसी भी प्रकार का संशोधन एवं शुल्क पत्र विभागीय वैब साईट www.labour.uk.gov.in में अपलोड किया जाएगा।

क्रमांक	विवरण	धनराशि/दरों समस्त करों सहित	अन्युक्ति
1	वाहन, वाहन चालक के साथ (ईधन रहित स्थिति में)		

श्रम आयुक्त
उत्तराखण्ड